कार्यालय पत्रांक 1718033 दिनांक 31-08-2017

पत्र सं0–ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु0/सं0प0/17–18/ 1442 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(वि0अनु0शा0–अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 30 अगस्त,2017

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य/वि0अनु0शा0/कार्पो0/टैक्स ऑडिट), वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर।

विषयः–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017 में निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण सम्बंधी प्राविधान एवं उनका क्रियान्वयन।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017 की धारा 67 के अन्तर्गत किसी कराधेय व्यक्ति अथवा माल के परिवहन के कारोबार में लगे व्यक्ति अथवा किसी भांडागार या गोदाम के स्वामी अथवा संचालक के व्यापार स्थल अथवा किसी अन्य स्थान के निरीक्षण के प्राविधान किये गये है। उक्त प्राविधानों के अनुसार यदि ज्वाइंट कमिश्नर से अनिम्न स्तर के अधिकारी को यह विश्वास करने का आधार है कि कराधेय व्यक्ति द्वारा माल अथवा सेवाओं अथवा दोनो की आपूर्ति से सम्बन्धित किसी संव्यवहार को छुपाया गया है या अपने पास उपलब्ध माल के स्टॉक को छुपाया गया है अथवा पात्रता से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है अथवा करापवंचन के उद्देश्य से इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के किन्ही प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है अथवा माल के परिवहन का व्यापार करने वाले व्यक्ति अथवा किसी गोदाम के मालिक या संचालक द्वारा ऐसा माल रखा गया है, जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है अथवा ऐसी लेखा पुस्तकें या वस्तुएं इस प्रकार रखी गयी है जिससे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत करापवंचन होने की सम्भावना है, तब वह लिखित रूप में राज्य कर के किसी अधिकारी को किसी कराधेय व्यक्ति के अथवा माल के परिवहन के व्यापार में लगे व्यक्तियों अथवा किसी भांडागार या गोदाम के स्वामी अथवा संचालक के व्यापार स्थल अथवा अन्य किसी स्थान के निरीक्षण हेतु अधिकृत कर सकते हैं। **उक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017 के प्राविधानों के अनुसार किसी स्थान का निरीक्षण ज्वाइंट कमिश्नर से अनिम्न स्तर के किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किये गये राज्य कर के अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है।** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के **आदेश सख्या–278 दिनांक 01.07.2017** द्वारा धारा 67 के अन्तर्गत ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनुशा0)/कार्यपालक को अपने सम्भाग के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार प्रदान करते हुये समुचित प्राधिकारी नामित किया गया है और एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 को धारा 4 के अनुसार पूरे प्रदेश का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वर्णित किसी स्थल की जाँच उपरोक्त सीमाओं के अन्तर्गत ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0)/कार्यपालक, एडीशनल कमिश्नर (वि0अनु0शा0) ग्रेड–2, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 अथवा कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किये गये राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है तथा यह अधिकार पत्र सम्बन्धित समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फॉर्म जी0एस0टी0 आई0एन0एस0–01 में जारी किया जायेगा। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017